भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं–678
उत्तर देने की तारीख–08/02/2023

वैश्विक रैंकिंग वाले शिक्षण संस्थानों के क्षेत्रीय परिसर

678 # श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि नई शिक्षा नीति के तहत शीर्ष 100 वैश्विक रैंकिंग वाले शिक्षण संस्थानों के क्षेत्रीय परिसर भारत में खोले जा रहे है;

(ख) यदि हां, तो ये परिसर भारत के किन राज्यों में खोले जाने प्रस्तावित है;

(ग) क्या इन संस्थानों में सरकार की भागीदारी होगी;

(घ) इनमें पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम और शुल्क का निर्धारण करने की शक्ति किसके पास रहेगी; और

(ङ) क्या भारत में बनने वाले ये प्रस्तावित परिसर जिस प्रकार इंग्लैंड, अमेरिका और अन्य देशों में संस्थान अपने नागरिकों को शुल्क में छूट व अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं, भारतीयों को भी ऐसी सुविधाएं प्रदान करेंगे?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में परिकल्पना की गई है कि "विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।" इसके लिए, "इस तरह के प्रवेश की सुविधा हेतु एक विधायी रूपरेखा विकसित की जाएगी, और ऐसे विश्वविद्यालयों को भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के समान नियामक, शासन और सामग्री मानदंडों संबंधी विशेष छूट दी जाएगी। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारत में विदेशी उच्च संस्थानों के परिसरों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए समर्थनकारी विनियमों का मसौदा तैयार किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 के मसौदे को सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। विनियमों का मसौदा https://www.ugc.ac.in/pdfnews/9214094_Draft-Setting-up-and-Operation-of-Campuses-of-Foreign-Higher-Educational-Institutions-in-India-Regulations-2023.pdf पर उपलब्ध है।

*****